राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः– प0 7(1)कार्मिक/क–2/17 जयपुर, दिनांकः 29 JAN 2018

आदेश

राज्य में, राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 38) (संक्षेप में "अधिनियम, 2017") दिनांक 20.12.2017 से प्रभावी किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के प्रावधानान्तर्गत कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं दिनांक 21.12.2017 के माध्यम से पिछड़ा वर्ग (BC) में अति पिछड़ा वर्ग (MBC) को शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों में 01 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है।

कतिपय विभागों द्वारा उक्त अधिनियम के तहत जारी उपर्युक्त अधिसूचनाओं के क्रियान्वयन में आ रही रोस्टर बिन्दु एवं आरक्षण की गणना संबंधी कठिनाईयों की ओर कार्मिक विभाग का ध्यान आकृष्ट किया गया है। अतः इन कठिनाईयों के निराकरण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अति पिछड़ा वर्ग (MBC) को उक्तानुसार आरक्षण प्रदान करते हेतु कार्मिक विभाग के द्वारा पूर्व में जारी परिपत्रादेश क्रमांक प. 15(24)कार्मिक/क–2/75 दिनांक 07.08.07 के साथ संलग्न उपाबन्ध II में लम्बवत् आरक्षण **(vertical reservation)** हेतु निर्धारित रोस्टर बिन्दु संख्या 97, जो अनारक्षित (UR) है, को अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के लिए आरक्षित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(भास्कर ए. सांवत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति0 मुख्य सचिव।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग राज. जयपुर।
6. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/संम्भागीय आयुक्त मय जिला कलेक्टर्स।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः– प. 15(24)कार्मिक/क–2/75 जयपुर, दिनांकः 7.8.2007

1. समस्त शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव/शासन विशिष्ट सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित) ।

परिपत्रादेश

वर्तमान में सीधी भर्ती में अनु.जाति, अनु.जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत 12 प्रतिशत एवं 21 प्रतिशत और पदोन्नति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है । इस विभाग के समसंख्यक परिपत्रादेश दिनांक 20.11.97 के साथ संलग्न उपाबन्ध –II एवं उपाबन्ध – III के अनुसार रोस्टर बिन्दु निर्धारित किये गये हैं और ये सभी बिन्दु लम्बवत हैं।

इसके अलावा सीधी भर्ती में अन्य प्रवर्गों के लिए किया गया आरक्षण जैसे निःशक्तजन के लिए 3 प्रतिशत राजस्थान सिविल सर्विसेज (एब्जोबशन आफ एक्स सर्विसेज) रूल्स, 1988 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधीनस्थ सेवाओं और मंत्रालयिक सेवाओं में 12½ प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा में 15 प्रतिशत आरक्षण है इसी प्रकार सभी सेवाओं में महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए अधीनस्थ सेवाओं और मंत्रालयिक सेवाओं में 2 प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान है और ये सभी आरक्षण दण्डवत माना गया है । क्योंकि इन्द्र साहनी के मामले में (ए.आई.आर. 1993 एस.सी.477) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड 4 में अनुज्ञात आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।

राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 में अधिसूचना दिनांक 10.10.2002 द्वारा रिक्तियों का 3 प्रतिशत आरक्षण निःशक्तजन हेतु सभी पदों पर कर दिया गया है जिन पर निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 32 के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रत्येक निःशक्तता के लिए निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित किया गया है । इसी क्रम में कतिपय विभागों में भ्रान्तियां/शंकाऐं अभिव्यक्त की हैं कि आज्ञा दिनांक 09.7.85 के अनुसार निःशक्तजन हेतु जो रोस्टर बिन्दु निर्धारित किए गए हैं, वे स्वतः समाप्त हो गये हैं । अतः इस स्थिति को स्पष्ट करने हेतु कार्मिक विभाग की आज्ञा दिनांक 09.7.85 के अतिक्रमण में एवं इस विभाग का समसंख्यक परिपत्रादेश दिनांक 20.11.97 के क्रम में सीधी भर्ती के लिए विद्यमान 100 बिन्दु रोस्टर अर्थात् उपाबन्ध– II में उपदर्शित मॉडल के अनुसार संशोधित किया गया है ।

जहाँ तक पदोन्नति का संबंध है, विद्यमान आरक्षण रोस्टर में कोई परिवर्तन नहीं है ।

(लोकनाथ सोनी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान,जयपुर ।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान,जयपुर ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

26/07

उपाबन्ध –II

राज्य/अधीनस्थ/मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./महिला वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग/खिलाडियों को सीधी भर्ती के लिए आरक्षण का मॉडल रोस्टर

पद की क्रम संख्या	प्रवर्ग जिसके लिए पद चिन्हित किए जाने चाहिए (अजा/अजजा/अपिव) (16 %/12%/21%)	प्रवर्ग जिसके लिये पद चिन्हित किए जाने चाहिए (30 %)	प्रवर्ग जिसके लिये पद चिन्हित किए जाने चाहिए (3 %)	प्रवर्ग जिसके लिये पद चिन्हित किए जाने चाहिए (12½ % केवल अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा)	प्रवर्ग जिसके लिये पद चिन्हित किए जाने चाहिए (2 % केवल अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा)	प्रवर्ग जिसके लिये पद चिन्हित किए जाने चाहिए (15 %केवल चतुर्थ श्रेणी सेवा)
1	2	3	4	5	6	7
1.	अनारक्षित					
2.	अनारक्षित					
3.	अनारक्षित					
4.	अनारक्षित	महिला–1				
5.	अ.पि.व.					
6.	अनारक्षित					
7.	अजा–1	महिला–2				भू.पू.सै.–1
8.	अनारक्षित			भू.पू.सै.–1		
9.	अ.ज.जा.–1					
10.	अ.पि.व.–2	महिला–3				
11.	अनारक्षित					
12.	अनारक्षित					
13.	अजा–2					भू.पू.सै.–2
14.	अनारक्षित	महिला–4				
15.	अ.पि.व.–3					
16.	अनारक्षित			भू.पू.सै.–2		
17.	अजजा–2	महिला–5				
18.	अनारक्षित					
19.	अजा–3					
20.	अपिव–4	महिला–6				भू.पू.सै.–3
21.	अनारक्षित					
22.	अनारक्षित					
23.	अनारक्षित					
24.	अपिव–5	महिला–7		भू.पू.सै.–3		
25.	अजजा–3					
26.	अजा–4					
27.	अनारक्षित	महिला–8				भू.पू.सै.–4
28.	अनारक्षित					
29.	अपिव–6					
30.	अनारक्षित	महिला–9				
31.	अनारक्षित					
32.	अजा–5			भू.पू.सै.–4		
33.	अनारक्षित					भू.पू.सै.–5
34.	अजजा–4	महिला–10	अंधता या निम्न दृष्टि			
35.	अपिव–7					
36.	अनारक्षित					
37.	अनारक्षित	महिला–11				
38.	अजा–6					
39.	अपिव–8					
40.	अनारक्षित	महिला–12		भू.पू.सै.–5		भू.पू.सै.–6
41.	अनारक्षित					
42.	अजजा–5					
43.	अपिव–9					
44.	अजा–7	महिला–13				
45.	अनारक्षित					
46.	अनारक्षित					
47.	अनारक्षित	महिला–14				भू.पू.सै.–7
48.	अपिव–10			भू.पू.सै.–6		
49.	अनारक्षित					
50.	अजा–8	महिला–15			खिलाडी–1	
51.	अजजा–6					

52.	अनारक्षित					
53.	अपिव–11					भू.पू.सै.–8
54.	अनारक्षित	महिला–16				
55.	अनारक्षित					
56.	अनारक्षित			भू.पू.सै.–7		
57.	अजा–9	महिला–17				
58.	अपिव–12					
59.	अजजा–7					
60.	अनारक्षित	महिला–18				भू.पू.सै.–9
61.	अनारक्षित					
62.	अपिव–13					
63.	अजा–10					
64.	अनारक्षित	महिला–19		भू.पू.सै.–8		
65.	अनारक्षित					
66.	अनारक्षित					
67.	अजजा–8	महिला–20	श्रवण शक्ति की क्षीणता			भू.पू.सै.–10
68.	अपिव–14					
69.	अजा–11					
70.	अनारक्षित	महिला–21				
71.	अनारक्षित					
72.	अपिव–15			भू.पू.सै.–9		
73.	अनारक्षित					भू.पू.सै.–11
74.	अनारक्षित	महिला–22				
75.	अजजा–9					
76.	अजा–12					
77.	अपिव–16	महिला–23				
78.	अनारक्षित					
79.	अनारक्षित					
80.	अनारक्षित	महिला–24		भू.पू.सै.10		भू.पू.सै.–12
81.	अपिव–17					
82.	अजा–13					
83.	अनारक्षित					
84.	अजजा–10	महिला–25				
85.	अनारक्षित					
86.	अपिव–18					
87.	अनारक्षित	महिला–26				भू.पू.सै.–13
88.	अजा–14			भू.पू.सै.–11		
89.	अनारक्षित					
90.	अनारक्षित	महिला–27				
91.	अपिव–19					
92.	अजजा–14					
93.	अनारक्षित					भू.पू.सै.–14
94.	अजा–15	महिला–28				
95.	अनारक्षित					
96.	अपिव–20			भू.पू.सै.–12		
97.	अनारक्षित	महिला–29				
98.	अजा–16					
99.	अजजा–12					
100.	अपिव–21	महिला–30	गति विषयक निःशक्तता या मस्तिष्क संबंधी फाजिल		खिलाडी–2	भू.पू.सै.–15

<u>नोटः–</u> इसी सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दण्डवत आरक्षण बिन्दुओं में ऐसे भी बिन्दु हैं जो अनु.जाति, अनु.जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु निर्धारित बिन्दुओं से टकराते हैं परन्तु इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है । क्योंकि रोस्टर बिन्दु लम्बवत हो या दण्डवत प्रवर्ग विशेष के लिए पात्रता/गिनती सुनिश्चित करने के लिए तय किये गये हैं । उदाहरण स्वरूप जैसे कि बिन्दु सं. 34 अजजा के लिए निर्धारित है इसी बिन्दु पर महिला एवं निःशक्तजन (अंधता) भी आते हैं जो कि दण्डवत आरक्षण है परन्तु यह आवश्यक नहीं कि महिला वर्ग को 34वां बिन्दु दिया जावे और वह निःशक्त भी हो । अतः तात्पर्य यह है कि 34 पदों में 10 महिलाओं के पद बनते हैं। एक पद निःशक्तजन के लिए बनता है तो 10 महिलाऐं किसी भी वर्ग की हो सकती हैं और निःशक्त व्यक्ति भी किसी वर्ग का हो सकता है । ये जिस किसी भी वर्ग के (सामान्य,अजा,अजजा एवं अपिव)अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे उनमें इनको समायोजित कर दिया जावेगा ।